रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042023-245275
CG-DL-E-21042023-245275

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]	**नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2023/चैत्र 29, 1945**
No. 244]	**NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2023/CHAITRA 29, 1945**

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली,14 मार्च 2023

फा. सं. CEA-PS-13-17(23)/6/2022-PSPM Division.—जबकि मेसर्स जबलपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 101, फर्स्ट फ्लोर, विंडसर, ग्राम कोले कल्याण ऑफ सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, सांताक्रुज (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र - 400098, भारत में है, ने पारेषण योजना "बण्डा सिंचाई परियोजना के जलमग्न क्षेत्र में आने वाले जबलपुर पूल-बीना 765 के.वी सिंगल सर्किट लाइन के लोकेशन क्रमांक-80/7 से लोकेशन क्रमांक-86/0 तक डायवर्जन कार्य "के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं.11/2/2010-PG दिनांक 25.11.2010 के द्वारा पारेषण योजना "पारेषण प्रणाली को मजबूत करने की योजना पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के लिए समान "से बिजली की निकासी के अंतर्गत आने वाली शिरोपरिलाइनों के लिए मेसर्स जबलपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था और दिनांक 05.06.2013 को केंद्रीय विधुत प्राधिकरण, विधुत मंत्रालय (भारत सरकार) से विधुत अधिनियम, 2003 की धारा-164 के तहत अनुमोदन प्रदान किया गया था ।

मेसर्स जबलपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने दिनांक 16.05.2022 को (बिजनेस स्टैंडर्ड, द हितवाद) के इंगलिश अखबार, (दैनिक जागरण, स्वदेश ज्योति) के हिन्दी अखबार तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 02.07.2022 से 08.07.2022 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनताकी टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था।इसके पश्चात, मेसर्स जबलपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 12.10.2022 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों/ भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गतपारेषण योजना " बण्डा सिंचाई परियोजना के जलमग्न क्षेत्र में आने वाले जबलपुर पूल-बीना 765 के.वी सिंगल सर्किट लाइन के लोकेशन क्रमांक-80/7 से लोकेशन क्रमांक-86/0 तक डायवर्जन कार्य" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

1. **जबलपुर पूल बीना 765 के.वी सिंगल सर्किट लाइन** के लोकेशन क्रमांक-80/7 से लोकेशन क्रमांक-86/0 जो की बण्डा सिंचाई परियोजना के जलमग्न क्षेत्र में आ रहे है

स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

1. **जबलपुर पूल बीना 765 के.वी सिंगल सर्किट लाइन** के लोकेशन क्रमांक-80/7 से लोकेशन क्रमांक-86/0 जो की बण्डा सिंचाई परियोजना के जलमग्न क्षेत्र में आ रहे है

राज्य: मध्य प्रदेश

क्रम संख्या	गांव के नाम	तहसील	जिला
1	निमों (निमोन), मतया (मेतिया), राखसी, चकेरी, सेमरा अहीर, रिछाई, खुवारी, सेमरादंत, खोजमपुर, गणेशगंज, मगरधा, खिरिया, किरौला, बेसली, ममदा (महमदा), कोटरा, उलदन, सगोरिया, राख, बेहरोल, , खजरा (खजरा बिनेका), हनोता उवारी (हनोता), पेडरवा (पिडरूआ)	बण्डा	सागर
2	नेतना, बरोदिया, बांदरी(बांदरीकरोली), इमालिया,पहारगवान (पहारगुवान), मुरियागुसैन (मुड़िया घुसाई), कोवैला	मालथौन	सागर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स जबलपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

(iv) आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

(v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

(vi) मेसर्स जबलपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

राकेश गोयल, सचिव.

[विज्ञापन-III/4/असा./024/2023-24]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 14th March 2023

F. No. CEA-PS-13-17(23)/6/2022-PSPM Division.—Whereas M/s. Jabalpur Transmission Company Limited, the applicant with its registered office at Unit No. 101, First Floor, Windsor, Village Kole Kalyan Off CST Road, Vidyanagari Marg, Santacruz (East), Mumbai, Maharashtra – 400098, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme "Diversion work of Jabalpur pool – Bina 765kV S/C Line from location No 80/7 to Location No 86/0 falling under submergence area of Banda irrigation project."

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. 11/2/2010-PG dated 25.11.2010 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 and Ministry of Power, Government of India also granted the approval under Section – 164 of Electricity Act, 2003 dated 05.06.2013 to M/s. Jabalpur Transmission Company Limited .

M/s Jabalpur Transmission Company Limited has published notice for transmission scheme in Hindi newspapers (Dainik Jagran, Swadesh Jyoti) dated 16.05.2022, English newspaper (The Hitavada and Business Standard) dated 16.05.2022 and in Weekly Gazette of India (Hindi and English) dated 02.07.2022 to 08.07.2022 for the public to make observations/representations on the proposed transmission route within60 days from the date of publication. Subsequently M/s Jabalpur Transmission Company Limited has submitted an affidavit dated 12.10.2022 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Diversion work of Jabalpur pool – Bina 765kV S/C Line from location No 80/7 to Location No 86/0 falling under submergence area of Banda irrigation project." The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. Jabalpur Pool - Bina 765 kVS/CLine from location No 80/7 to Location No 86/0 falling under submergence area of Banda irrigation project.

The above overhead lines included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns, and cities:

Line: Jabalpur Pool - Bina 765 kVS/C line from location No 80/7 to Location No 86/0 falling under submergence area of Banda irrigation project.		
STATE: MADHYA PRADESH		
Villages Name	**Tehsil**	**District**
Nimon, Matiya (Meteya), Rakhsi, Chakeri, Semra Ahir, Richhai, Khuwari, Semradant, Khojampur, Ganeshganj, Magardha, Khiria (Khiriya), Kerola (Kiraula), Besli, Mamda (Mahmada), Kotra,Uldan, Sagoria (Sagoriya), Rakh, Behrol, Khajra (Khajra Bineka), Hanota Uwari (Hanota), Pedarwa (Pidarua),	Banda	Sagar

Netna, Barodia (Barodiya), Bandri (Bandri Karoli), Imaliya, Pahargawan (Pahar Guan), Muriyagusain (Mudiyagusayi), Kowaila	Malthon	Sagar

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Jabalpur Transmission Company Limited for laying above overhead lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

(i) The approval is granted for 25 years.

(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

(iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

(iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

(v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

(vi) M/s Jabalpur Transmission Company Limitedshall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

.

RAKESH GOYAL, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./024/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.04.21 11:03:18 +05'30'